दिनांक 31.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 31/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर विस्तार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 सोने की चैन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अल्टो कार, 01 जीप, 01 आटो, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 31.05.2021 को थाना गोमतीनगर विस्तार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र से अभियुक्त 1–राकेश 2–सन्तोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त 01 अल्टो कार, 01 जीप, 01 आटो, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राकेश के विरूद्ध जनपद नोएडा व दिल्ली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 05/06.05.2021 को थाना गोमतीनगर विस्तार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु0अ0सं0 147/2021 धारा 34/457/380/411/413/414 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश निवासी छोटी अख्तियारी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, दूसरा पता–नियादर इनक्लेव विकासनगर थाना नरौला, नई दिल्ली।

2–सन्तोष कुमार निवासी सब्जी मण्डी के पास कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–चोरी के 07 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2– 01 सोने की चैन।

3– घटना में प्रयुक्त 01 अल्टो कार।

4–घटना म्रे प्रयुक्त 01 जीप।

5–घटना में प्रयुक्त 01 आटो।

6– 01 मोटर साइकिल।

जनपद औरैया/थाना एरवाकटरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 12 हजार 750 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30/31.05.2021 को थाना एरवाकटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रतनपुर के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–पप्पू कुमार 2–सुनील 3–रबी को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से

लूट के 12 हजार 750 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.05.2021 को थाना एरवाकटरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना एरवाकटरा पर मु0अ0सं0 129/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना एरवाकटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पप्पू कुमार निवासी हनुमान टोला वार्ड नं0–6 थाना सोनबरसा जनपद सहरसा।

2–सुनील निवासी वार्ड नं0–8 बहुआरा थाना बखरी जनपद बेगूसराय।

3–रबी निवासी वार्ड नं0–6 बहुआरा थाना बखरी जनपद बेगूसराय।

बरामदगी

1–लूट के 12 हजार 750 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30.05.2021 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चूहडपुर अन्डर पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अर्शिल को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बीटा–2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2021 धारा 411/413/414/420/482 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्शिल निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, वर्तमान निवासी मुस्तफाबाद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

2– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना करीमुद्दीनपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**

दिनांक 31.05.2021 को थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जोगामुसाहिब तालाब के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनूप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना करीमुद्दीन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/2021 धारा 307/323/452/504/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करीमद्दीनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अनूप निवासी जोगामुसाहिब थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 31.05.2021 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोतीचूर तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 424/2020 धारा 302/120 बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वसीम निवासी मोहल्ला बसन्ती माता हालपता मोहल्ला शबनी कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.05.2021 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अम्बेडकर चौक के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अफजाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जनकपुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 298/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अफजाल निवासी मीरपुर मोहनपुर पण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर।

जनपद बिजनौर/थाना शेरकोट

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.05.2021 को थाना शेरकोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त भूदेव को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रेहड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–भूदेव निवासी मोहदीनपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।

जनपद उन्नाव/थाना पुरवा

- **पुलिस कार्यवाही में 12–12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 31.05.2021 को थाना पुरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खिन्नी मोड़ से पुलिस कार्यवाही में 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–नसीर 2–परवेज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना पुरवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2021 धारा 307/34 भादवि व मु0अ0सं0–154/2021 धारा सी0एस0 एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12–12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पुरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नसीर निवासी काजीगढ़ी कस्बा वर्तमान पता—मझखोरिया थाना मौरावां जनपद उन्नाव।

2—परवेज निवासी कुरियाना कुली बाजार थाना अनवरगंज जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना बिहार

- **12—12 हजार रूपये के 02 व 05 हजार हजार का 01 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.05.2021 को थाना बिहार एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोठरिया कूँआ जाने वाले तिराहे से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—नीरज 2—कृष्णपाल उर्फ के0पी0 3—बहादुर उर्फ पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार तीनो अभियुक्त थाना बिहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2021 धारा 143/147/148/149/307/308/323/325/504/506/427 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त नीरज व कृष्णपाल उर्फ के0पी0 पर 12—12 हजार रूपये व अभियुक्त बहादुर उर्फ पहाड़ी पर 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिहार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नीरज निवासी पितुआखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव।

2—कृष्णपाल उर्फ के0पी0 निवासी पितुआखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव।

3—बहादुर उर्फ पहाड़ी निवासी पितुआखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव।

जनपद सोनभद्र/थाना पिपरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 34 लाख रूपये कीमत की 667 नग एल्युमीनियम सिल्ली**
- **50 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 30.05.2021 को थाना पिपरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जनपद एटा क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–मो0 आरिफ 2–मोबीन अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 34 लाख रूपये कीमत की 667 नग एल्युमीनियम सिल्ली, 50 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.03.2021 को हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकुट से एल्युमीनियम की 924 सिल्ली ट्रक से रूड़की भेजा गया, जो कि नियत समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नही पहुँचा, जिसके सम्बन्ध में थाना पिपरी पर मु0अ0सं0 50/2021 धारा 406 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद एल्युमीनियम की सिल्ली व रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पिपरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 आरिफ निवासी सराय सकिट थाना सराय सकिट जनपद एटा।

2–मोबीन अहमद निवासी मारहरा गेट थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

बरामदगी

1–लगभग 34 लाख रूपये कीमत की 667 नग एल्युमीनियम सिल्ली।

2–50 हजार रूपये नगद।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 31.05.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शामली बहलना बाईपास काली नदी के पुल के पास से 02 शातिर अभियुक्तों 1—राजू उर्फ राजकुमार 2—करन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार के विरूद्ध दिल्ली व दिल्ली के आस—पास के जनपदों में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू उर्फ राजकुमार निवासी आक्खेपुर थाना इंचौली जनपद मेरठ, हालपता—के0 ब्लाक जहॉगीरपुरी दिल्ली।

2—करन सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी के 05 दो पहिया वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस ।

———